तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में आज उभयपक्ष की ओर से राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि ख०न० 79 में 1750.50 स्कवायर मीटर भूमि पूर्व-दक्षिणी और लाल स्याही से अंकित यास्मीन अखतर की रहेगी तथा उत्तर पश्चिमी ओर पीले रंग से नजरी नक्शे में अंकित 1828 स्कवायर मीटर + 213.70 स्कवायर मीटर जो कि रास्ता है वो प्रतिवादीगण का रहेगा। इस प्रकार पीले रंग से अंकित समस्त भूखण्ड प्रतिवादीगण का रहेगा। रास्ता छोडकर वादी यास्मीन अखतर ने पुख्ता बाउण्ड्रीवाल उप की सीमा में बना रखी है। बाउण्ड्रीवाल से अन्दर की समस्त आराजीयात 1750.50 स्कवायर मीटर भूमि वादीया की है और इसके अलावा पीले रंग से अंकित 1828 स्कवायर मीटर + 213.70 स्कवायर मीटर, 2041.70 स्कवायर मीटर भूखण्ड प्रतिवादीगण का रहेगा। अतः राजीनामा स्वीकार किया जावे। उपस्थित सभी पक्षकारो द्वारा राजीनामे के आधार पर तकास्मा किये जाने का निवेदन किया तथा 46 स्टैम्प पर न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामे पर हस्ताक्षर किये। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर तस्दीक किया जाता है। राजीनामा व प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। उक्तादेश अनुसार डिक्री जारी की जावे। पक्षकारान को राजीनामे के अनुसार भूमि पर तकास्मा होने के बाद जो भूमि आवंटित की गई है उस पर मजाहमत मदाखलत नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2025.09.10
Reason: SelfAttest